उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-10/2023/371/एक-1-2023-रा0-1

लखनऊः दिनांकः 31 मई, 2023

<u>अधिसूचना</u>

जिलाधिकारी अयोध्या के पत्र संख्या-830/डी0एल0आर0सी0/भाईपुर-विनिमय/2019, दिनांक 24.09.2019 एवं पत्र संख्या-1303/डी0एल0आर0सी0/भाईपुर-विनिमय/2019, दिनांक 14.09.2019 के क्रम में उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा-2 सपठित धारा-101 की उपधारा-2 के परन्तुक में प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल ग्राम भाईपुर, परगना मगलसी, तहसील सोहावल, जनपद अयोध्या स्थित ग्राम सभा की आरक्षित श्रेणी की भूमि गाटा संख्या-509 रकबा 0.0230हे0 (जो श्रेणी 6-4 खाल निकालने के स्थान के रूप में दर्ज है) का श्रेणी परिवर्तन करते हुए उसी ग्राम में स्थित गुरुसहाय महाविद्यालय, भाईपुर के नाम दर्ज संक्रमणीय गाटा संख्या-424/0.077हे0 में से 0.0256 हे0 से विनिमय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त भूमियों का श्रेणी परिवर्तन/विनिमय अपरिहार्य परिस्थितियों में संस्था की भूमि की परिसीमा में आ जाने के दृष्टिगत महाविद्यालय हेतु किया जा रहा है।

(2) संस्था से ग्राम सभा के आरक्षित श्रेणी की भूमियों के श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क निर्धारित लेखा-शीर्षक में जमा कराया जायेगा। संस्था द्वारा लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन का शुल्क निर्धारित लेखा शीर्षक "0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्तियॉ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियॉ" के नाम जमा कराया जायेगा।

(3) कलेक्टर द्वारा ग्राम भाईपुर, परगना मगलसी, तहसील सोहावल, जनपद अयोध्या स्थित विनिमय के माध्यम से ग्राम सभा को प्राप्त संस्था की खाल निकालने की भूमि के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ताकि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा आदि न हो सके।

(4) लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन तथा विनिमय का आदेश प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा अधिकार अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण किया जायेगा।

(5) कलेक्टर कृत कार्यवाही की पूर्ण सूचना शासन तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद को 30 दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,
सुधीर गर्ग
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>प्रतिलिपि संख्या एवं दिनांक तदैव</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. आयुक्त अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
3. जिलाधिकारी, अयोध्या।
4. श्रीमती सरवनपती पत्नी रामू प्रसाद, निवासी शक्तिनगर, देवकली, अयोध्या।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।